(प्रति प्रति)

NOC

पत्रांक 1083/sch/2017-18.........

झारखण्ड सरकार,

मानव संसाधन विकास विभाग।

प्रेषक,

श्री मनोज कुमार (Sri Manoj Kumar),
अवर सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक 07.04.2018

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

विषय :– Royal Orchid International School, Barhi को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत के सम्बंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या **0053** दिनांक **11.11.2017** के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, **हजारीबाग** से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा **Royal Orchid International School, Barhi** को सी॰ बी॰ एस॰ ई॰ नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :–

1. यह विद्यालय **People Empowerment Trust** के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। ट्रस्ट से प्रत्येक सदस्य का ब्योरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को **2.0** एकड़ भूमि **30वर्षों** लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप है।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 18 शिक्षक हे। सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण (N.C.T.E.) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप हैं।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ायें जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कारवाई कर इसे सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या **0053** दिनांक **11.11.2017** में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्ते स्वीकार हैं।

शेष पृष्ट....2पर

अप्रेक्षित शर्तों के अनुसार –

(i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनूसचित जाति, अनु॰ जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय 2,00,000/– रूपया प्रतिवर्ष से कम होगा को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के. जी. अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित), नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के॰जी॰ तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम तीन किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दुरी आठ किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था 15 दिनों के अंदर होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है फिर भी सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित हैं।

9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त्त सावनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा। शर्त्तो का उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धता रद्द करने की कारवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक–097, दिनांक 04.01.2013 द्वारा शिक्षक/छात्रा का शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा। (सर्व शिक्षा अभियान के तहत)

11. विद्यालय झारखण्ड सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्त्तो के आधार पर **Royal Orchid International School, Barhi** को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत की जाती हैं।

अनुलग्नक :– जिला शिक्षा पदाधिकारी **हजारीबाग** का जाँच प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)
अवर सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,
झारखण्ड।

पत्रांक 1063/SCN/2017-18

झारखण्ड सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग।

प्रेषक,

श्री मनोज कुमार (Sri Manoj Kumar),
अवर सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक **11.03.2018**

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

विषय :– Royal Orchid International School, Dhamna Chakura, Near Barhi Jail, Barhi, Hazaribag को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत के सम्बंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या **0082** दिनांक **11.11.2017** के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, **हजारीबाग** से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा **Royal Orchid International School, Dhamna Chakura, Near Barhi Jail, Barhi, Hazaribag, Jharkhand** को सी॰ बी॰ एस॰ ई॰ नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

विद्यालय कोड : 20040000678

विद्यालय का नाम एवं पता : Royal Orchid International School Dhamna Chakura, Near Barhi Jail, Barhi, Hazaribag

विश्वासभाजन

अनुलग्नक :– जिला शिक्षा पदाधिकारी हजारीबाग का जाँच प्रतिवेदन।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,
झारखण्ड।

DISTRICT EDUCATION OFFICER ★ HAZARIBAG